12.10.2021

आज यह अपील नामा० संख्या 1 बाबे ग्राम
सिंचनिया आज मेरे समक्ष प्रशासन गांवो के
संग अभियान ग्राम पंचायत शिविर कंचनपुर
पर पेश हुई। अपील नामा० मे नामान्तकरण
का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण
दर्ज करते समय नामान्तकरण संख्या 7 मे
अशोक, व बाबू के दोहरे नाम दर्ज करदिये
गये है जबकि एक भाई दिनेश का नाम
नामान्तकरण मे दर्ज करते समय छोड़दिया
गया है नामा० संख्या 1 दिनांक 5.6.1971
मे पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच किये व
पक्षकारान को बिना बुके नाम दर्ज किये गये
है आवेदक दिनेश पुत्र किरोड़ी पांच सगे
भाई है मथुरालाल, रमेश, रामखिलाड़ी, बाबूलाल
दिनेश पिसरान किरोड़ी जाति ब्राह्मण निवासी
सिंचनिया है मजमे आम मे ग्राम वासियान
व पटवारी हल्का, गिरदावर व तहसीलदार
कासलपुर से केस बाबत तस्दीक की गई
अपील नामा० दर्ज रजिस्टर की जाकर
सभी उपस्थित पक्षकारान [illegible]
हस्ताक्षर कराये [illegible] व उक्त
के श्री दिनेश पुत्र किरोड़ी [illegible] अदालत [illegible]
मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उचित प्रतीत होता है। एवं नामान्तकरण में दर्ज अशोक जो गलत नाम दर्ज हुआ है उसे निरस्त कर पुनः सहीनाम से नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली के अवलोकन से एवं उपस्थित मौजे आम व रिपोर्ट पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार मासलपुर के आधार पर नामा० सं० 1 दिनांक 5.6.71 को खारिज करने एवं उसके स्थान पर सही नाम मथुरालाल, रमेश, रामखिलाड़ी बाबूलाल, दिनेश पिसरान किरोड़ी जाति ब्राह्मण निवासी सिंघनिया के नाम पुनः नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार मासलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत [illegible] पर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner